# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

**पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या - 260/2020 अपील (GCMS/2020/00260)
पंजीयन दिनांक - 04.08.2020
निर्णय दिनांक - 16.02.2021

1. श्रीमती गंगा पुत्री श्री भेराजी डांगी पत्नि श्री जमनालाल डांगी, निवासी कानपुर हाल निवासी थूर, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

**-अपीलार्थी**

**बनाम**

1. श्री केसुलाल पिता श्री कालूजी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती बसन्ती पुत्री श्री कालूजी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती प्रेमलता पुत्री श्री कालूजी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

**-प्रत्यर्थी**

उपस्थितिः-
1. श्री सम्पतलाल बोहरा - वकील अपीलार्थी
2. श्री राजमल राव - वकील प्रत्यथी

प्रकरण संख्या-37/2000, में श्री कालू बनाम राज्य में न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2002 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक 16.02.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-37/2000, में श्री कालू बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2002 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा समक्ष श्री कालू पिता श्री नन्दा डांगी ने वसीयतनामा के आधार पर मौजा कानपूर के मृतक खातेदार श्री भेरा पिता वाला डांगी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2047 से 2050 के खाता संख्या 142 का

1/8वां हिस्सा, खाता संख्या 231 का 1/2वां हिस्सा एवं खाता संख्या 232 का 1/4वां हिस्सा की भूमि अपने नाम से रद्दोबदल का निवेदन किया।

- उक्त आवेदन पर तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा ने दिनांक 23.09.2002 से निर्णय पारित किया कि ''**उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की लिखित बहस के साथ पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं तथ्यों की तुलना मे अध्ययन एवं मनन से यह स्पष्ट है कि वसीयतशुदा भूमि संयुक्त खातेदारी हक की है जिसका पैतृक (मौरूसी) होना बयान गवाहान से स्पष्ट है। पैतृक सम्पत्ति के हिस्से की भूमि मृतक खातेदार ने अपने भतीजे के हक में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा के द्वारा देना विनिश्चय किया। वसीयतकर्त्ता की मृत्यु हो जाना पुष्ट है। खातेदार की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वसीयतकर्त्ता की पत्नि एवं एक पुत्री उत्तराधिकारी के रूप में मौजुद है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पत्ति का वारिसान हक उन्हे हासिल है। अतः रजिस्टर्ड वसीयतशुदा संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि जो मिताक्षरी कोपासनरी सम्पत्ति है तथा वसीयतकर्त्ता की पत्नि भी इस वसीयत के तथ्यों से सहमत है। ऐसी स्थिति में श्रीमती गंगा की आपत्ति सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत निस्तारण योग्य है जिस हेतु वह स्वतन्त्र है। वसीयतनामें के आधार पर मृतक खातेदार वसीयतकर्त्ता श्री भेरा पिता वाला डांगी के बजाय वसीयतग्रहिता श्री कालु पिता नन्दा डांगी के नाम रद्दोबदल कर लगान वसूली करने की स्वीकृति दी जाती है।**''

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2002 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 21.07.2020 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.02.2021 को सुनी गई। वकील अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

**विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि मौजा कानपूर के मृतक खातेदार श्री भेरा पिता वाला डांगी की संयुक्त

खातेदारी कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2047 से 2050 के खाता संख्या 142 का 1/8वां हिस्सा, खाता संख्या 231 का 1/2वां हिस्सा एवं खाता संख्या 232 का 1/4वां हिस्सा की भूमि स्थित है। उक्त भूमि की भेरा द्वारा कभी कोई वसीयत किसी के हक में नहीं की गई व यह जायदाद मौरूसी है। भेरा के स्वर्गवास के समय उसकी पत्नि श्रीमती गेन्दी एवं उसकी पुत्री श्रीमती गंगा जीवित थी। कथित जायदाद मौरूसी होने से भी भेरा को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। कथित वसीयत को श्री भेरा की आंखों की रोशनी चली जाने पर धोखें से पंजीयन करा लिया गया। बयानों पर फर्जी हस्ताक्षर कराये गये है। इसमें सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उजर भी प्रस्तुत किया गया। वसीयत जहां विवादित है, उसके आधार पर म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वसीयत को वेलीड घोषित करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है, इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया। कानूनन ऐसे बयानों को नहीं देखा जा सकता है तथा तहसीलदार द्वारा उन्ही बयानों पर जो पटवारी हल्का द्वारा फर्जी लिखे गये थे उनके आधार पर आदेश पारित किया जो अनुचित है। कथित वसीयत को कानूनन समरी कार्यवाही में देखा ही नहीं जा सकता है। यहा तक की समरी कार्यवाही में वसीयत निर्णित नहीं किया जा सकता है। वसीयत वैलिड है या नहीं इसे सक्षम न्यायालय से ही तय कराया जाना आवश्यक हैं। कानूनन मौरूसी जायदाद की वसीयत नहीं की जा सकती है क्योंकि आज बटवाड़ा होता है तो गेन्दीबाई को भी एक हिस्सा मिलता है तथा पुत्री को भी हिस्सा मिलता है, इस बात पर विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गंगाबाई पक्षकार होते हुए भी उनका नाम फैसले में नहीं दिया गया जो गलत है। उक्त अपील आप न्यायालय समक्ष विलम्ब से पेश की गई क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष फैसले के बारे में पुछने पर पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया गया जिस पर पत्रावली उपलब्ध होने एवं पटवारी द्वारा उक्त फैसले की जानकारी दिये जाने पर नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। साथ ही अविधिक निर्णय पर मयाद का बिंदु लागु नहीं होता है, उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। विलम्ब क्षम्य किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अपील के साथ संलग्न किया है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, गिर्वा का आदेश दिनांक 23.09.2002 निरस्त फरमाया जाकर विवादित जमीन अपीलाट के पिता के स्वर्गवास होने से अपीलांट के नाम इन्द्राज कराये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

**विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 3 ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** तहसीलदार गिर्वा द्वारा जो आदेश दिनांक 23.09.2002 को फैसल किया गया वह

नियमानुसार पारित किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है, इसमें कोई हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अपीलार्थी कोई हक एवं अधिकार रखता है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है। पारित नामान्तरकरण पंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है और वसीयतकर्त्ता की पत्नि द्वारा अपने बयान में इस हेतु अपनी सहमति दी है जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

**हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की विस्तृत बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया।**

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से उजर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू. अ.), गिर्वा समक्ष श्री कालू पिता श्री नन्दा डांगी ने वसीयतनामा के आधार पर मौजा कानपूर के मृतक खातेदार श्री भेरा पिता वाला डांगी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2047 से 2050 के खाता संख्या 142 का 1/8वां हिस्सा, खाता संख्या 231 का 1/2वां हिस्सा एवं खाता संख्या 232 का 1/4वां हिस्सा की भूमि अपने नाम से रद्दोबदल का निवेदन किया। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण संख्या-37/2000 में तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 23.09.2002 को पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हम यहा प्रकरण के तथ्यों को प्रथम दृष्टया देखते हुए न्यायहित में मयाद के बिन्दु एवं गुणावगुण पर एक साथ विवेचित किया जाना उचित समझते है।

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री कालू पिता नन्दा डांगी ने श्री भेरा डांगी द्वारा उसके हक में निष्पादित पंजीकृत वसीयत प्रस्तुत की गई। श्री भेरा डांगी की वारिसान में उसकी पत्नि श्रीमती गेन्दी बाई एवं पुत्री श्रीमती गंगा होना निर्विवादित है। श्री कालू डांगी, श्री भेरा डांगी का भतीजा है। अभिलेख पर दस्तावेजों एवं आलौच्य निर्णय की ईबारत से यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौरूसी सम्पत्ति है। यह तथ्य भी स्पष्ट है उक्त वसीयत पर आरम्भ से ही अपीलार्थी द्वारा आपत्ति जाहिर की। यह प्रावधित है कि मौरूसी सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है, ऐसे में चाहे वसीयत की पुष्टि श्रीमती गेंदी बाई की गई हो तो भी उसको तवज्जो दिया जाना उचित नहीं है।

हम यहा यह उल्लेख किया जाना अत्यावश्यक समझते है कि अपीलार्थी का आक्षेप है कि तहसीलदार ने फर्जी वसीयत को मान्यता देते हुए प्राकृतिक वारिसान को अनदेखा कर श्री कालू डांगी के नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि श्रीमती गंगा द्वारा आरम्भ से उक्त पंजीकृत वसीयत पर आपत्ति जाहिर की है। ऐसे में पंजीकृत वसीयत विवादित एवं विवादास्पद है जिसे प्रमाणित कराने का दायित्व एवं भार अपीलार्थी पर है। मेरा मत है कि वसीयत का पंजीकृत होना मात्र उसकी सदभाविकता व सन्देह से परे होने का प्रमाण नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-68 अनुसार भी वसीयत को पंजीकृत होने के बावजुद स्वतः प्रमाणित नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि पंजीकृत वसीयत विवादग्रस्त एवं संदिग्ध है तो खातेदार के वारिसों को नामान्तरकरण में प्राथमिकता दी जायेगी। मृतक खातेदार के प्राकृतिक वारिसों के नाम अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए जब तक कि वसीयत के लाभार्थी द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता एवं संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक वारिसों के विरूद्ध निष्पादित की गई वसीयत सदैव संदेह से घिरी रहती है। विवादित वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिये नामान्तरकण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है। नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये प्रत्यर्थीगण को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। मृतक खातेदार के वारिसान को छोड़कर ऐसी विवादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण सिर्फ श्री कालू डांगी के पक्ष में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मृतक श्री भेरा डांगी के वारिसान अपीलार्थी (श्रीमती गेंदी बाई के फौत होने का कथन किया गया है) है जिसके पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार होना चाहिए जो तहसीलदार, गिर्वा द्वारा विधि सम्मत स्वीकृत नहीं किया गया। प्रत्यर्थीगण यदि मृतक श्री भैरा की उपरोक्त विवादित आराजीयात में कोई एकल/संयुक्त अधिकार रखता है तो वह सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र है ।

जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी-78,

79)। न्यायिक दृष्टांत 2009(1) सीसी केसेज 804 (एससी) में यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत को पंजीकृत होना ..... itself does not mean that the statutory requirements of proving the Will need not be complied with. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर मेरा निष्कर्ष है कि पंजीयन होना वसीयत दस्तावेज के अस्तित्व को साबित करता है, उसकी सदभाविकता को नहीं। जब तक उक्त वसीयत की सद्भाविकता को धारा-63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, (एसआईसी) 1925 के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह संभव नहीं है। इसके लिये वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अपने अधिकारो की घोषणा कराने होगी। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, ऐसे अविधिक निर्णय का समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसे अविधिक निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, जिस पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। न ही अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा मयाद के बिन्दु पर कोई लिखित एवं मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2002 अपास्त किया जाता है और तहसीलदार, गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात हेतु श्री भेरा डांगी के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( विकास सीतारामजी भाले )
संभागीय आयुक्त, उदयपुर